भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1900

गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/ 06 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>उड़ान में सुरक्षा और सेवा में सुधार</u>

1900. श्री पल्लब लोचन दास:

श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई उड़ानों में खराबी, खराब रखरखाव और सुरक्षा में अन्य चूक के संबंध में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उड़ानों में ऐसी चूक के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में बार-बार तकनीकी खराबी या कुछ निजी उड़ानों में खराबी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ऐसी उड़ानों के यात्रियों की सुरक्षा और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव/कदम उठाए हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)</u>

(क) सरकार, विमानन सुरक्षा विनियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से घटनाओं पर रिपोर्ट प्राप्त करती है।

(ख) डीजीसीए, एयरलाइनों पर नियमित निगरानी, संरक्षा स्पॉट जांच और संपरीक्षा आयोजित करता है। बढ़ी हुई घटनाओं के आलोक में, डीजीसीए ने अनुसूचित एयरलाइनों के विमानों पर औचक जांच (स्पॉट चेक) का एक विशेष अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त, स्पेयर्स, मैनपावर और अनिवार्य तकनीकी दस्तावेजों की उपलब्धता को देखने के उद्देश्य से सभी एयरलाइनों का संरक्षा ऑडिट किया गया है।

(ग) स्पॉट चेक/ऑडिट के निष्कर्षों के बारे में एयरलाइनों को अवगत कराया जाता है और इन पर ध्यान देने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उल्लंघनों की स्थिति में, चेतावनी, निलंबन, कार्मिकों/एयरलाइनों के अनुमोदन/लाइसेंस को रद्द करने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।